

32

योग अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या एक ने अपने जवाब के तथ्यों को दौहराते हुए प्रेरीकार सरकार के कथनों का खण्डन करते हुए बताया कि आवंटी को आवंटन के पश्चात् अप्रार्थी ने कोई अवहेलना नहीं की है। बन्दोबस्त की कार्यवाही चालू होने की वजह से राजस्व अभिलेख बन्दोबस्त विभाग में चला गया और इसके बाद सन 1980 में यह ग्राम तहसील कोटपुतली जिला जयपुर में सम्मिलित हो जाने के कारण रिकॉर्ड में नहीं हो पाया, बल्कि सिवायक ही दर्ज रह गयी और अप्रार्थी की कृषि की कब्जे कइल की कृषि भूमि को सिवायक मानकर सीको को बच दी गयी। अप्रार्थी को आराजी विवादोत्पद के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज करने का पूर्ण दायित्व स्वयं प्रार्थी का था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया। प्रार्थी (लैण्ड होल्डर तहसीलदार कोटपुतली) की गलती की सजा अप्रार्थी (आवंटी) को नहीं दी जा सकती। कानूनी रूप से भी अब 30 साल के अन्तराल के पश्चात् आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। अप्रार्थी को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गयी भूमि से अप्रार्थी अलावा को आवंटित की गयी भूमि से बिना बेदखल किये एवं विधिवत किया गया आवंटन आदेश दिनांक 27/2/1976 को निरस्त किये बिने तथा अप्रार्थी को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उसकी पीठ पीछे से तहसीली अप्रार्थी रिको को पुनः किया गया आवंटन आदेश पूर्णतया न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत और कानूनी एवं अप्रामाणिक होने

करवाया जावे।  
 के हक है, में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 27/2/1976 निरस्त दिनांक 10/02/2017 अतः अपील से भी प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी अप्रार्थी संख्या का ही रिकॉर्ड में नाम दर्ज है तथा कब्जा है, जो मौका रिपोर्ट पर आवंटी अप्रार्थी संख्या का कोई कब्जा काइल नहीं है, बल्कि तस्वीर अप्रार्थी संख्या 02 के नाम दर्ज कर दी गयी। आज भी उक्त आराजीयात कर दी गयी एवं राजस्व अभिलेख में भी उक्त विवाहित आराजीयात तस्वीरी 01/01/1993 को राजस्थान औद्योगिक विकास निगम (सीको) को आवंटित अभिलेख में राजकीय भूमि सिवायक दर्ज होने के कारण दिनांक ही गया। तत्पश्चात् उक्त आराजीयात के मौके पर खाली होने तथा राजस्व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया जा सका। यानि आवंटन स्वतः ही निरस्त खातेदारी/खातेदारी स्वीकार नहीं की जा सकने के कारण उसका नाम आवंटन नियमों की पालना नहीं होने के कारण आवंटी के हक में और आवंटन की गयी भूमि को तीन वर्ष में काबिल काइल की जाना आवश्यक है। काबिल होकर काइल नहीं की। जबकि भू-आवंटन नियमों के अनुसरण में गयी थी। परन्तु आवंटीन द्वारा उसको अलाटमेंट की गयी भूमि को कमी भू-आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 27/02/1976 को आवंटन की प्रसाद पुत्र श्री कुलमल जोतसी निवासी गौनडा तहसील कोटपुतली को खसरा नम्बर 25 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि अप्रार्थी संख्या 01, दर्जा वर्धन करते हुए निवेदन किया कि आराजी विवादोत्पद साबिक आराजी सरकार (नायब तहसीलदार, कोटपुतली) ने अपने प्रकरण में वर्णित तथ्यों का वस्तुस्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। उभयपक्षों को सुना गया। प्रेरीकार सरकार (नायब तहसीलदार, कोटपुतली) द्वारा रिकॉर्ड एवं मौके की पत्रावली पेश हुयी। उभय पक्ष उपस्थित/प्रार्थी की ओर से प्रेरीकार

विशेष विवरण

आज्ञा विस्तृत रूप से

भू-राजस्व अधिनियम 14(4) में आवंटन

2005

सरकार बरनाम दुगा प्रसाद

बनाम

92.9.17

इसका संज्ञा था ।

निर्णय आज दिनांक 22/02/2017 को लिखवाया जाकर संदे 27/2/1976 निरस्त किया जाता है ।

के नू आवंटन सलाहकार समिति का भूमि आवंटन आदेश दिनांक 01 के एक नू अलाटमेंट किसे गये रकबे की सीमा तक सैक आ.ख.नं. 25 से बरामद हुये हाल खसरा नम्बर 32 रकबा 22 हेक्टर राजस्व अधिनियम स्वीकार की जाकर ग्राम केशवाना गुरुनानकपुरी में स्थित कलत: प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र/अपील अन्तर्गत दफा 14(4) नू खतरेही उत्पन्न नहीं होते है ।

अप्रार्थी संख्या 01 के उक्त आराजी विवाद प्रस्त सं कोई एक हेक्क किना गया है, जो आज भी बदस्तुर मौजूद है। ऐसी परिस्थिती में अलाटी नौके पर कब्जा सम्भलया गया है तथा राजस्व अभिलेख में उसका नाम दर्ज नियन्त्रणार प्रामियम की राशि जमा करवाने के बाद उन्हें भौतिक रूप से बरत से तरतीबी अप्रार्थी संख्या 2 के एक नू अलाटमेंट की गयी है तथा खतरे हीने तथा राजस्व अभिलेख में राजकीय सिवायक दर्ज होने कह स्वत ही खारिज योग्य है। इसी और उक्त आराजी विवादप्रद मौके पर किना गया आक्षेपित नू आवंटन आदेश मात्र एक कानजी अलाटमेंट होने से कन से कब्जा होना जाहिर होता है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 के एक नू अप्रार्थी संख्या 2 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना तथा उन्ही का भौतिक 10/2/2017 से भी आराजी विवादप्रद प्रार्थी संख्या 1 के बजाय तरतीबी तहसीलदार कोटपुतली द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड एवं मौका रिपोर्ट दिनांक संख्या 01 के नाम गैर खतरेही/खतरेही दर्ज नहीं प्रकट होती है। नाथब कबई कायल को साबित करवाया है। राजस्व अभिलेख में भी अलाटी अप्रार्थी गयी है तथा ना ही उक्त विवादित आराजीयात पर अपने भौतिक रूप से आवटी अप्रार्थी संख्या 01 की और से कोई रिकॉर्ड साहदत प्रस्तुत नहीं की है। परन्तु उक्त आवंटन आदेशों की शर्तों की पालना की जाने के सम्बन्ध में नू आवंटन सलाहकार समिति आदेश दिनांक 27/2/1976 से सिद्ध होता अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रसाद पुत्र श्री कुलमल को आवंटन होना नकल खसरा नम्बर 25 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा वार्के मौजा केशवाना गुरुनानकपुरी रिकॉर्ड व मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया । विवादित साबिक आराजी हमने उपयुक्तों की बहस पर गौर किया तथा पत्रावली के तथ्यों एवं होने निरस्त किसे जाने योग्य है ।

आदेश तरतीबी अप्रार्थी संख्या 02 के एक हेक्को के प्रति शून्य एवं बेअसर प्रनोत है। अतः अप्रार्थी संख्या 01 के एक नू किया गया नू आवंटन 2 रीको की भौतिक रूप से कब्जा है, जो रिकॉर्ड व मौके की स्थिति से भी आराजीयात से कोई तार्किक वास्ता नहीं है। मौके पर तरतीबी अप्रार्थी संख्या कोटपुतली में जमा करवा दिया गया है। अब अप्रार्थी संख्या 01 का उक्त को सम्बन्धित हितबद्ध व्यक्तियों को किया जावे, के लिए उपखण्ड अधिकारी क. 506674 / - का भूतान भी बैंक संख्या 321763 दिनांक 30/6/2006 कथित आवटी/अतिक्रमियों के क्यूरे संरचनाएं इत्यादि के सुआवर्ज की राशि संख्या 3377/2005 में पारित निर्णय दिनांक 05/5/2006 की पालना में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी एसबी सिविल रिट पीटिशन नौतिक रूप से कब्जा अप्रार्थी संख्या 2 रीको को सम्भलवा दिया गया । सुतान करने पर उनके द्वारा दिनांक 15/10/1994 को उक्त भूमि का 12698932 / - का तहसीलदार कोटपुतली की दिनांक 16/8/1994 को 2 रीको को आवंटन की गयी उक्त समस्त भूमि की प्रामियम राशि रूपये विवादप्रद ख.नं. 32/22.00 बजह भी सम्भलित है। तरतीबी अप्रार्थी संख्या का आवंटन किया गया था, जिसमें प्रश्नगत प्रकरण में वर्णित आराजी कोटपुतली में दिनांक 01 जनवरी 1993 को कुल रकबा 178.42 हेक्टर भूमि अप्रार्थी संख्या 2 को औद्योगिक प्रयोजनार्थ ग्राम केशवाना गुरुनानकपुरी तहसील अपने जवाब में वर्णित अधिकथनों को दौहराते हुए निवेदन किया कि तरतीबी विद्वान अधिकारता तरतीबी अप्रार्थी संख्या 02 ने भी अपनी बहस में

नू दल खय क सल अपील अपीलान्त निरस्त का जाग ।